Regarding provision of Hindi and other regional languages in Teacher recruitment examination and reservation for locals in job recruitment

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह और शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र, दादरा और नागर हवेली की ओर दिलाना चाहती हूँ, जो कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । मैं मंत्री जी का ध्यान आदिवासी और स्थानीय युवाओं के भविष्य से जुड़े अत्यन्त संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ । दिनांक 22 नवम्बर, 2025 को जारी शिक्षक भर्ती की कुल 281 सीट्स के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होने की बात कही गई थी, जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र के छात्र एवं छात्राएं मुख्य रूप से हिंदी, गुजराती और मराठी माध्यम से पढ़े हुए हैं ।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया पूरे देश के लिए ओपन रखी गई है, जिससे सीमित सीटों पर स्थानीय आदिवासी युवाओं का अधिकार छिन रहा है । देश में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए विस्तृत नीतियां मौजूद हैं । उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन और मांग करती हूँ कि इस विषय पर तुरंत हस्तक्षेप कर डोमिसाइल नीति लागू कर 70 प्रतिशत से ज्यादा सीट्स स्थानीय आदिवासी युवाओं के लिए आरक्षित की जाए । इसके साथ ही परीक्षा गुजराती और हिंदी भाषा में भी ली जाए । इसके अतिरिक्त 10 सालों से कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे संविदा शिक्षिकों के अनुभव को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है । मुझे लगता है कि यह उनके अधिकार, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के सपनों का प्रश्न है इसलिए दीर्घकाल से कार्यरत संविदा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए ।